an>

Title: Issue regarding misuse of Media.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो मैं कहने जा रही हूँ, वह मीड़िया के विषय में है। मीड़िया किसी भी देश के लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की ऑर्गन है, लेकिन मीड़िया का किस प्रकार से दुरूपयोग किया जा रहा है और यह कैसे संभव हो रहा है, वह अभी कुछ मामलों में सामने आया। कुछ दस्तावेज सामने आए अगस्ता वेस्टलैंड के केस में, जहाँ पर तकरीबन सिक्स मिलियन यूरो या 50 करोड़ रूपए के आसपास दिया गया था क्रिश्चियन माइकल को...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदया, हमने नोटिस दिया था इस पर चर्चा के लिए।...(व्यवधान)

श्रीमती मीनाक्षी लेखी: सर, मेरी बात सुन लीजिए। 50156 करोड़ रूपया क्रिश्चियन माइकल को मीड़िया मैनेजमेंट और प्रेस मैनेजमेंट के लिए दिया गया था।...(व्यवधान) आज जो विषय कोहिनूर का उठा है सदन के अन्दर तो भी मैं यह बात सामने लाना चाहती हूँ कि कोहिनूर के विषय में सॉलिसिटर जनरल का बयान जो कि अर्काइवल मैंटेरियल पर आधारित था, सरकार का अभी तक उसमें दस्तावेज जारी नहीं हुआ और उसको कहा गया कि यह सरकार का स्टैंड है।...(व्यवधान) सरकार का स्टैंड कोहिनूर पर भी स्पष्ट है कि कोहिनूर हमारा है और कोहिनूर को लाएंगे।...(व्यवधान) मीड़िया का किस प्रकार से गलत इस्तेमाल होता है।...(व्यवधान) मीड़िया का इस्तेमाल और मीड़िया की अभिव्यक्ति का दुरूपयोग किस तरीके से इस देश में हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि सदन इस पर सोच-विचार करे और एक ऐसा विचार सामने आए कि मीड़िया की अभिव्यक्ति जो कि देश के लिए आवश्यक है, लेकिन उस अभिव्यक्ति का गैर जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करकर जो स्ट्रक्चर को खराब किया जा रहा है, जो देश के लोकतांत्रिक ढ़ाँचे को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, वह एक गंभीर विषय है जो लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्रीमती अंजू बाला, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे और डॉ. मनोज राजोरिया को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.05 p.m.

<u>13.04 hours</u>

The Lok Sabha then adjourned till Five Minutes past

Fourteen of the Clock.